प्राथमिकता

संख्या-6/2019-13(6)/2017/का-1-2019

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 25 अक्टूबर, 2019**

विषय :- राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों में से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु मेरिट आधारित चयन के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों को भरा जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2019-13(2)/2007/का-1-2019 दिनांक 27.09.2019 एवं सपठित शासनादेश संख्या-5/2019-13(2)/2007/का-1-2019 दिनांक 04.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा मेरिट आधारित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं निर्धारित प्रारूपों पर संगत सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पदों आदि के ऐसे चयन, जो कार्मिक विभाग के माध्यम से कराये जाते है, से संबंधित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों पर समस्त अपेक्षित सूचनाएं अंकित करते हुए यथाशीघ्र कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि चयन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में बनायें जाने में कोई कठिनाई हो तो उक्त के सन्दर्भ में कार्मिक विभाग से विचार-विमर्श कर चयन का प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किये जाय।

भवदीय,

मुकुल सिंहल

अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in